



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10102026-277043
CG-DL-E-10102026-277043

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5343]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 9, 2026/आश्विन 17, 1948

No. 5343]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2026/ASVINA 17, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5555(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3689(अ), दिनांकित 09.12.2016 के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 731ए के खंड को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 (जो इसके आगे 'नियम' के रूप में उल्लिखित है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-731ए के मंझनपुर से राजापुर खंड के डिज़ाइन किलोमीटर 74.700 से किलोमीटर 112.950 तक चार या अधिक लेन वाले खंड के उपयोग हेतु 27.80 किमी [तालिका-2] की निवल सड़क खंड लंबाई के लिए तथा 9.60 किमी (0.960 किमी की लंबाई वाले, [तालिका-4] के समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक की लंबाई वाले) के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर तथा दस करोड़ रुपये या उससे अधिक की लागत वाले 9.49 किलोमीटर [तालिका-3] लंबे बाईपासों के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के डेढ़ गुना दर पर तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर फीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजा के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क लंबाई हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजा(ओं) में देय और संदेय होगी अर्थात्:-

तालिका-2		
पथकर प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर, जिस पर शुल्क संदेय है
उत्तर प्रदेश राज्य के कौशाम्बी ज़िले में हिनौता गाँव के निकट रारा-731ए के किमी 101.000 पर	27.80 किमी [10 करोड़ रु. या अधिक लागत वाले बाईपास की लंबाई 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर]	चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक की लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए ऐसे शुल्क प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई के लिए निम्नलिखित फीस भी देय और संदेय होगी:-

तालिका-3						
शुल्क प्लाजा की अवस्थिति	बाईपास का नाम	यहां से प्रारंभ होने वाला	यहां पर जुड़ने वाला	बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर, जिस पर शुल्क संदेय है
				लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़ रु. में)	
उत्तर प्रदेश राज्य के कौशाम्बी ज़िले में हिनौता गाँव के निकट रारा-731ए के किमी 101.000 पर	समादा बाईपास	74+700	78.700	4.000	124.50	चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	राजापुर बाईपास	106.500	112.950	5.49	170.90	
कुल लंबाई				9.49		

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगी:-

तालिका-4			
शुल्क प्लाजा की अवस्थिति	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किए जाने के लिए संरचनाओं की लंबाई (किमी में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	दर, जिस पर शुल्क संदेय है
उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में हिनौता गांव के निकट एनएच 731ए के किमी 101.000 पर	0.960 [^]	9.60 किमी	तालिका-1 में उल्लिखित चार या अधिक लेन के लिए आधार दरों का 100%

[^]संरचना का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1	107.030	107.990	बड़ा पुल	0.960
कुल				0.960

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2026-27 के लिए 360.00 रु. (तीन सौ साठ रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अधीन है।

5. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-5		
भुगतान-योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एक तरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

6. शुल्क प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चलाए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, उक्त नियमों के नियम 10 में विनिर्दिष्ट शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. शुल्क की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

10. यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी शुल्क की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत 1190.86 करोड़ रु. है। पूंजीगत लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अधिग्रहण, जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण, पेड़ों की कटाई, आदि कार्यकलापों को पूरा किया जाना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. सीई-आरओ/एलकेओ/एनएच-731ए/2021-22/638/फी नोटिफिकेशन/2026-27/ई-268401]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2026

S.O. 5555(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.3689 (E) dated the 09.12.2016 issued under section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the stretch of the new National Highways No. 731A in the State of Uttar Pradesh to the State Government of Uttar Pradesh.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 27.80 km [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 9.60 km (having length of 0.960 km [Table-4]) and at one and one-half times the base rate for bypasses having length of 9.49 km [Table-3] costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for four or more lane of Manjhanpur to Rajapur section from design kilometer 74.700 to kilometer 112.950 of National Highway number 731A in the State of Uttar Pradesh and authorizes the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table – 1	
Types of Vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-Axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles' (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Toll Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s), namely: -

Table -2		
Location of Toll Plaza (Chainage)	Length (in km) for which fee is payable	Rate at which fee is payable
Km 101.000 of NH 731A, Near Village Hinauta in Kaushambi district of Uttar Pradesh	27.80 km [Excluding length of bypasses (costing ≥ Rs.10 crore and structures (>60 m)]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to the above, the following fee shall also be due and payable for use of the bypass costing Rs. 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s):-

Table-3						
Location of Fee Plaza	Name of the Bypass	Taking off	Merging at	Length and cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in km)	Cost (in Rs. Crore)	
Km 101.000 of NH 731A, Near Village Hinauta in Kaushambi district of Uttar Pradesh	Samada Bypass	74.700	78.700	4.000	124.50	150% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above.
	Rajapur Bypass	106.500	112.950	5.49	170.90	
Total Length				9.49		

3. In addition to the above, the following fee shall also be due and payable for use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza, by converting the length of structure into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Table-4			
Location of Fee Plaza	Length of Structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
Km 101.000 of NH 731A, Near Village Hinauta in Kaushambi district of Uttar Pradesh	0.960 km [^]	9.60 km	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above.

[^]Details of the structures are as under:

Sr. No.	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From km	To km		
1	107.030	107.990	Major Bridge	0.960
Total				0.960

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 360 (Rupees Three Hundred and Sixty only) for the year 2026-27 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment

Two-third of amount of the fees payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment
---	-------	--------------------------------

6. Fee for commercial vehicles (excluding vehicles plying under National permits) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rates for that category of vehicle provided no service road or alternate road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highways to toll collecting agency, equal to the fees specified in rule 10 of the said rules.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc., shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discount will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed portion of the length of the project highway and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimate capital cost of the project is Rs. 1190.86 crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. is yet to be completed. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. CE-RO/LKO/NH-731A/2021-22/638/Fee Notification/2026-27/E-268401]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.